न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 46/2022 राजस्व वाद

1. देवी सिंह कुम्पावत पुत्र श्री भंवर सिंह दरोगा (रावणा राजपूत) आयु वयस्क निवासी— करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. गोपाल सिंह कुम्पावत पुत्र श्री भंवर सिंह दरोगा (रावणा राजपूत) आयु वयस्क निवासी— करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. श्रीमती सुनीता कंवर पुत्री श्री भंवर सिंह पत्नी श्री वैभव सिंह हाड़ा आयु वयस्क निवासी—कुन्हाडी, कोटा जिला कोटा (राज0)

—— वादीगण

बनाम

1. भंवर सिंह पुत्र श्री हीरा सिंह दरोगा (रावणा राजपूत) आयु वयस्क निवासी— करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
3. उपपंजीयक महोदय, पंजीयन कार्यालय, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

—— प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत घौषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञावादपत्र अन्तर्गत धारा— 88,188 आर.टि.एक्ट

उपस्थित :—

1. श्री मुकेश कुमार जैन —अधिवक्ता वादी
2. एकपक्षीय कार्यवाही— ——प्रतिवादीगण

दिनांक— 02/08/2022

:: निर्णय ::

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:56:48 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वादपत्र घौषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 एक के पुत्र, पुत्री होकर व हीरा पुत्र श्री रामा जी दरोगा (कुम्पावत) के पोत्र पोत्री होकर उसके वारीस व उत्तराधिकारी है। वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 01 एक की पैतृक कृषि आराजियात सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

(राज0) मे आराजी नम्बर 4699 रकबा 0.0885 हेक्टयर, आराजी नम्बर 4699/10 रकबा 0.0506 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4699/4 रकबा 0.0885 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4722 रकबा 0.0253 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4722/1 रकबा 0.1518 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4723 रकबा 0.0758 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4724 रकबा 0.0505 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4724/4 रकबा 0.0252 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4724/5 रकबा 0.0253 हैक्टयर कुल किता 09 रकबा 0.5815 हैक्टयर भूमि स्थित है, जो जिसमे वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 01 एक प्रत्येक का 1/4 एक/चार, 1/4 एक/चार हक हिस्सा निहित है। इसी हक हिस्से अनुसार वादीगण एंव प्रतिवादीगण मौके पर काबिज है। उक्त आराजियात वादीगण के दादा हीरा पुत्र श्री रामा दरोगा (कुम्पावत) के नाम पर जमाबंदी संवत 2055 से 2058 मे दर्ज होकर विरासत से प्रतिवादी संख्या 01 एक को प्राप्त हुई है। इस प्रकार उक्त भूमि वादीगण के दादा हीरा जी की होकर वादीगण की पुश्तैनी कृषि आराजियात है। जिसमे वादीगण का जन्म से हक हिस्सा व अधिकार निहित है। प्रतिवादी संख्या 01 एक जो कि वादीगण का पिता है, जो अन्य लोगो की सिखावट एवं बहकावे मे है, जो कि वादीगण को उनके जायज हक हिस्से से वंचित करने की गरज से वादीगण की संयुक्त परिवार की पैतृक आराजियात को कोडियो के भाव बिना परिवार मे रूपयो की जायज जरूरत के भी विक्रय करना चाहते है तथा उससे प्राप्त होने वाली राशि को उडा देना चाहते है व वादीगण को उनके जायज हक हिस्से से वंचित करना चाहते है, इसी नियत से आये दिन लोगो को लाकर उक्त आराजियात को विक्रय करना चाहते है , जिसका कि प्रतिवादी संख्या 01 को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है तथा प्रतिवादीगण के परिवार मे पारीवारिक खर्च हेतु कोई रकम की भी जरूरत नही है । उक्त भूमि से वादीगण को उनके जायज हक हिस्से से वंचित करने की नियत से खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। दिनांक 31 मार्च 2022 दो हजार बाईस को प्रतिवादी संख्या 01 एक वादग्रस्त आराजीयात से वादीगण को उनके हक हिस्से से बेदखल करने व आराजियात को खुर्द बुर्द करने की धमकी दी, जिस पर वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 01 एक को कहा कि उक्त वर्णित आराजियात वादीगण की पैतृक आराजियात है जिसमे वादीगण का जन्म से ही हक अधिकार निहित है लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 एक मानने को तैयार नही हुआ व धमकी दी कि उक्त आराजियात वर्तमान राजस्व रेकार्ड मे उसके नाम [illegible] होने से अन्य को खुर्द बुर्द करके ही रहेगा। यदि प्रतिवादी संख्या 01 एक अन्य लोगो [illegible] साथ मिलकर वादीगण को वादग्रस्त आराजी से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल कर देगे [illegible] प्रतिवादी संख्या 01 एक के नाम पर उक्त आराजियात राजस्व रेकार्ड मे अंकन होने का नाजायज फायदा उठाकर उक्त आराजीयात को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण/खुर्द बुर्द कर देगा तो वादीगण को अपूरणीय क्षति

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:36:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेडा

होगी व वादीगण अपनी पैतृक आराजियात से वंचित हो जायेगे। जिसकी पूर्ति धनराशि से पूरी की जाना कतई संभव नही होगा। इस कारण से वादीगण के पक्ष मे एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है एवं साथ ही वादपत्र की चरण संख्या 02 मे वर्णित आराजियात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक की पैतृक आराजियात है , जिसमे वादपत्र की चरण संख्या 02 दो मे वर्णित आराजियात मे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक प्रत्येक का 1/4 एक/चार, 1/4 एक/चार हक हिस्सा है, वादीगण अपने हक हिस्से पर काबिज है व वादीगण राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादी संख्या 01 एक के साथ अपना नाम अंकन कराने व खातेदार का तकार घौषित होने के अधिकारी है , तदनुसार घौषणात्मक डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी संख्या 01 एक सादिर फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

उक्त प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगणो को तामिल जारी की गयी, प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा लेने से इंकार करने से तामिल लोट आयी व प्रतिवादीगण के विरूद्व उपस्थित नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी। वादीगण द्वारा जमाबंदी की नकल व दस्तावेजात प्रदर्शित कराये गये व साक्ष्य स्वरूप वादी एवं स्वतंत्र गवाहान के शपथपत्र पेश किये गये, जिन्हे शामिल पत्रावली किये गये।

वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध प्रदर्शित दस्तावेजात के अनुसार सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 4699 रकबा 0.0885 हेक्टयर, आराजी नम्बर 4699/10 रकबा 0.0506 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4699/4 रकबा 0.0885 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4722 रकबा 0.0253 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4722/1 रकबा 0.1518 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4723 रकबा 0.0758 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4724 रकबा 0.0505 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4724/4 रकबा 0.0253 हैक्टयर कुल किता 09 रकबा 0. रकबा 0.0252 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4724/5 रकबा 0.0253 हैक्टयर कुल किता 09 रकबा 0. 5815 हैक्टयर जो कि जमाबंदी संवत 2055 से 2058 मे वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 01 के पिता हीरा पुत्र श्री रामा दरोगा (कुम्पावत) के नाम पर दर्ज होकर विरासत से प्रतिवादी संख्या 01 को प्राप्त हुई, वादीगण जो कि प्रतिवादी संख्या 01 के पुत्र, पुत्री होकर विधिक वारीस व उत्तराधिकारी होने व उक्त भूमि पुश्तैनी होने से वादीगण का जन्म से हक अधिकार निहित होने से वादीगण को खातेदार काश्तकार घौषित करने व स्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने व वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

मैने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया , वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मे सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 4699 रकबा 0.0885 हेक्टयर, आराजी नम्बर 4699/10 रकबा 0.0506 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4699/4 रकबा 0.0885 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4722 रकबा 0.0253 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4722/1 रकबा 0.1518 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4723 रकबा 0.0758 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4724 रकबा 0.0505 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4724/4 रकबा 0.0252 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4724/5 रकबा 0.0253 हैक्टयर कुल किता 09 रकबा 0.5815 हैक्टयर भूमि जो कि वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 01 की जमाबंदी

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:56:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

संवत 2055–2058 से पुश्तैनी होकर वादीगण के बयानो व शपथपत्र से वादीगण का कब्जा भी साबित है। अतः सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 4699 रकबा 0.0885 हेक्टयर, आराजी नम्बर 4699/10 रकबा 0.0506 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4699/4 रकबा 0.0885 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4722 रकबा 0.0253 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4722/1 रकबा 0.1518 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4723 रकबा 0.0758 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4724 रकबा 0.0505 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4724/4 रकबा 0.0252 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4724/5 रकबा 0.0253 हैक्टयर कुल किता 09 रकबा 0.5815 हैक्टयर भूमि मे वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 के साथ खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी संख्या 01 को 1/4, वादी संख्या 02 को 1/4, वादी संख्या 03 को 1/4 व प्रतिवादी संख्या 01 एक के 1/4 हक हिस्से अनुसार भूमि खातेदारी हक से दर्ज की जाना एवं प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

वादीगण का वादपत्र स्वीकार कर सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 4699 रकबा 0.0885 हेक्टयर, आराजी नम्बर 4699/10 रकबा 0.0506 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4699/4 रकबा 0.0885 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4722 रकबा 0.0253 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4722/1 रकबा 0.1518 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4723 रकबा 0.0758 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4724 रकबा 0.0505 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4724/4 रकबा 0.0252 हैक्टयर, आराजी नम्बर 4724/5 रकबा 0.0253 हैक्टयर कुल किता 09 रकबा 0.5815 हैक्टयर भूमि वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 के साथ खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी संख्या 01 को 1/4, वादी संख्या 02 को 1/4, वादी संख्या 03 को 1/4 व प्रतिवादी संख्या 01 एक के 1/4 हक हिस्से अनुसार भूमि खातेदारी हक से दर्ज जावे व प्रतिवादी संख्या 01 को स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी कर पांबद किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 01 वादीगण को उक्त भूमि मे वादीगण के 3/4 हक हिस्से के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नही करे व बेदखल आदि नही करे व इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज किया जावे। इस आदेश की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें।

खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। तदनुसार डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफतर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 02.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:56:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)